01/6/16 पत्रा० पेश हुई। प्रार्थी वकील उप०। मूल वाद में P.D. जारी करने बाबत सहमति प्रदान की गई। वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने अपपक्षकारान को मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक पाबंद करने का निवेदन किया गया। बहस पर मनन एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दावा 53 का है। एवं P.D. जारी बाबत सहमति भी प्रदान की जा चुकी है। ऐसे में मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक अपपक्षकारान को मौका व राजस्व रिकार्ड की स्थिति ~~[illegible]~~ यथावत रखने बाबत पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः पाबंद किया जाता है। एवं पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। एवं मूल वाद के साथ संलग्न की जावे।

Sd/-